उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0- 60 - विनियम एवं काविनी / पाकालि/2015-3-विनियम/92

दिनांक 21 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 7-विनियम / पाकालि / 12-3-विनियम / 92 दिनांक 09.05.2012, अधिसूचना सं0 8-विनियम / पाकालि / 12-3-विनियम / 92 दिनांक 14.05.2012 एवं अधिसूचना सं0 10-विनियम / पाकालि / 12-3-विनियम / 92 दिनांक 15.05.2012 के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन विधि से पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील सं0 2608 / 2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / आदेश दिनांक 27.04.2012 के अनुपालनार्थ उ0प्र0 शासन, कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश सं0 8 / 4 / 1 / 2002 टी0सी0-1का-2 / 2015 दिनांक 21.08.2015 को संलग्नक सहित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में एतद्द्वारा अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष

संख्या : 60 (1) - विनियम एवं काविनी / 2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 रा0वि0 उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा / केस्को-कानपुर।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) / विधि अधिकारी / महाप्रबन्धक (लेख प्रशा0) / महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट)।

(पवनेन्द्र शर्मा)

अपर सचिव (प्रथम)

अनुलग्नक-1

संख्या-8/ 4/ 1/ 2002टी0सी0-1-का-2/ 2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2015

विषय- पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या-2608/ 2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/ आदेश दिनांक 27-04-2012 का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के समसंख्यक शासनादेश दिनांक 28-04-2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27-04-2012 को पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये, जिसका कार्यकारी अंश (Operative Portion) निम्नानुसार है-

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter the dictum in M.Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule-8A shall remain undisturbed."

3 मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त वर्णित आदेश के क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा निम्नांकित शासनादेशों के माध्यम से दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं-

I- शासनादेश संख्या-4/ 1/ 2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनांक 28-04-2012

II- शासनादेश संख्या-4/ 1/ 2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनांक 08-05-2012

III- शासनादेश संख्या-4/ 1/ 2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनांक 13-05-2012

4 उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 तथा 13 मई, 2012 के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

5 उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 28 अप्रैल, 2012 में यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नति प्राप्त कर्मियों के संबंध में जब तक कोई

निर्देश प्रसारित न कर दिये जायें, तब तक पदावनति की कार्यवाही न की जाये।

6 सम्यक् विचारोपरान्त पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं 15-11-1997 के बाद प्रोन्नत कर्मियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है-

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8(क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गयी है, उन्हें पदावनत कर दिया जाये। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08-05-2012 एवं 13-05-2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनांक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8क का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाये।

(ख) पदावनत किये जाने पर, आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रहीं परिलब्धियाँ(मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियाँ तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अंतर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उस सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियाँ तब तक फ्रीज रहेंगी जब तक कि पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियाँ इसके बराबर या इससे अधिक न हो जायें।

(ग) आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाएँ प्राप्त करेंगे।

(घ) पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(च) अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मांग नहीं की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ हैं।

(छ) उपरोक्तानुसार पदावनति किये जाने के परिणामस्वरूप जो रिक्तियाँ उपलब्ध होंगी, उन पर उक्त

वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

7 उपरोक्त प्रस्तर-6 में वर्णित सीमा तक उक्त संदर्भित शासनादेश दिनाँक 28-04-2012 संशोधित समझा जायेगा।

8 कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-8/ 4/ 1/ 2002(1)टी0सी0-1-का-2/ 2015, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त शासनादेश की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें-

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2 प्रमुख सचिव, विधानसभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4 सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5 वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
6 समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

संख्या–4/1/2002 टी.सी.–1–का–2/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनॉक 28.04.2012

विषय : पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–2608/2011 में दिनॉक 27.04.2012 को पारित निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–2608/2011 एवं अन्य याचिकाओं में दिनॉक 27.04.2012 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्येष्ठता नियमावली के नियम 8–क तथा आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) के सम्बन्ध में आदेश पारित किये हैं, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in M. Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indira Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule 8A shall remain undisturbed."

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे कार्मिक विभाग द्वारा समस्त बिन्दुओं का परीक्षण करते हुये आपको अलग से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेंगे। जबतक आपको इस विषय पर विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित न कर दिये जाये तब तक किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की पदोन्नति/पदावनति की कार्यवाही न की जाये तथा कार्मिक विभाग के निर्देश/परामर्श की प्रतीक्षा की जाये।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 नियुक्ति–2012–(139)–2000 प्रतियां (क0/आफसेट)।

संख्या–4 / 1 / 2002टी.सी.–1–का–2 / 2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनॉक : 13 मई, 2012

विषय : पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता समाप्त किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग–2 के समसंख्यक शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 के प्रस्तर–5(ख) एवं 6(ख) को प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पदोन्नति में आरक्षण एवं पारिणामिक ज्येष्ठता समाप्त किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–4 / 1 / 2002टी.सी.1–का–2 / 2012 दिनांक 08 मई, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. सम्यक् विचारोपरान्त वर्णित शासनादेश के प्रस्तर–5(ख) एवं 6(ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

वर्तमान प्रस्तर	प्रतिस्थापित प्रस्तर
5(ख) इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर–4(ख) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरूप ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनॉक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े गये नियम 8–क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है। उक्त का आशय यह है कि सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता के अवधारण की कार्यवाही अब उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि ज्येष्ठता अवधारण में परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।	प्रस्तर 5(ख)– इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर–4(ख) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनॉक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोडे गये नियम 8–क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है।

पदोन्नति की प्रकिया विषयक निर्गत किये गये रोस्टर निरस्त कर दिये गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त शासनादेश के निर्गमन के परिणामस्वरूप पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से आरक्षण की देयता नहीं रह गयी है।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सारांशतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

(क) पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अब आरक्षण देय नहीं है।

(ख) जिन संवर्गों /पदों की ज्येष्ठता सूचियां, ज्येष्ठता नियमावली के नियम–8–क के आधार पर परिणामिक ज्येष्ठता देते हुये निर्गत की गयी हों, उनमें से परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुये ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार उन्हें संशोधित/परिवर्धित कर लिया जाये।

(ग) पदोन्नति के अवसर पर पृथक–पृथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर यथाज्येष्ठता एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही की जाये।

(घ) पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त शासनादेश एवं रोस्टर भी निरस्त हो गये हैं।

7. कृपया उपरोक्त प्रक्रिया का विधिनुसार पालन करते हुये, इस शासनादेश में सन्दर्भित अध्यादेश, नियमावलियों एवं शासनादेश की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का कष्ट करें। कृपया संलग्न अध्यादेश, नियमावलियों एवं शासनादेश की व्यवस्थाओं से अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत करा दें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–4/1/2002(1)टी.सी.–1–का–2/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अध्यादेश, शासनादेश एवं नियमावलियों की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव।

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012, दिनांक 08 मई, 2012 ।

(ड.) पदोन्नति में आरक्षण तथा तत्सम्बन्धी रोस्टर को निरस्त करने विषयक शासनादेश संख्या–4/1/2002/का–2/2012, दिनॉक 08, मई, 2012 ।

5. (क) उपर्युक्तानुसार प्रस्तर–4(क) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के प्रख्यापन का आशय यह है कि आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7), जिसमें पदोन्नति के सम्बन्ध में आरक्षण की प्रदेयता विषयक निर्गत शासनादेशों के तब तक लागू रहने जब तक कि उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय, की व्यवस्था थी, को सन्दर्भगत अधिनियम से निकाल दिया गया है। उक्त के परिणामस्वरूप अब पदोन्नति के प्रकम पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देय नहीं है।

(ख) इसी प्रकार उपर्युक्त [illegible] प्रस्तर–4(ख) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरूप ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनॉक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोडे गये नियम 8–क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है। उक्त का आशय यह है कि सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता के अवधारण की कार्यवाही अब उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि ज्येष्ठता अवधारण में परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।

(ग) यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त प्रस्तर–4(ग) में संदर्भित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रकिया (आठवॉं संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणामस्वरूप अब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं सामान्य वर्ग की पृथक–पृथक तैयार की जाने वाली पात्रता सूचियों के स्थान पर सभी वर्गों के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी। ध्यातव्य है कि पदोन्नति में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की देयता समाप्त हो जाने के कारण पृथक पात्रता सूचियों के निर्माण की व्यवस्था अप्रासंगिक हो गयी है अतः पृथक–पृथक पात्रता सूचियों के निर्माण की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

(घ) इसी प्रकार उपर्युक्त प्रस्तर–4(घ) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन का तात्पर्य यह है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति के अवसर पर प्रयुक्त होने वाली अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं सामान्य वर्ग की पृथक–पृथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर सभी वर्गों के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

(ड.) उपर्युक्त प्रस्तर–4 (ड.) में उल्लिखित पदोन्नति में आरक्षण तथा तत्सम्बन्धी रोस्टर को निरस्त करने विषयक शासनादेश संख्या– 4/1/2002/ का–2/2012 दिनॉक 08 मई, 2012 के निर्गमन का आशय यह है कि पदोन्नति के प्रकम पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त शासनादेश एवं

उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

परिशिष्ट -2

संख्या :-7–विनियम/पाकालि/12–3–विनियम/92 दिनांक : 09 मई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 09–05–2012 को हुई बैठक में परिचालन विधि से एतद्द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0– 2608/2011 में पारित निर्णय दिनांक 27–04–2012 के आलोक में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी की गयी अधिसूचना सं0–4/1/2002 टी0सी0–1–का–2/2012 दिनाक 08–05–2012 का संलग्नक सहित अंगीकृत किया जाता है, जिसके मुख्य आदेश बिन्दु निम्न है :–

(क) पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अब आरक्षण देय नहीं है।

(ख) जिन संवर्गो/पदों की ज्येष्ठता सूचियॉं, ज्येष्ठता नियमावली के नियम–8 'क' के आधार पर परिणामिक ज्येष्ठता देते हुए निर्गत की गयी हो, उनमें से परिणामी ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुए ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार उन्हे संशोधित/परिवर्धित कर लिया जायें।

(ग) पदोन्नति के अवसर पर प्रथक प्रथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर यथा ज्येष्ठता एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की जाये।

(घ) पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त परिषदादेश/निगमादेश एवं रोस्टर भी निरस्त किये जाते है।

2. उक्त के फलस्वरुप कारपोरेशन द्वारा पूर्व में जारी आदेश सं0–62–विनियम/ पाकालि/08-3- विनियम/92 दिनांक 26–03–2008 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

3. पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के पत्रांक 1051–आ0अनु0/राविप/ 94–10(14)आर0एस00/93 दिनांक 16–05–1994 द्वारा अंगीकृत उ0प्र0 सरकार के पत्रांक–01/01/94–का–1/1994 दिनांक 11–02–1994 के साथ संलग्न अधिसूचना सं0–265/सत्रह–वि–1–2(क)5–1994 दिनांक 11–02–1994 द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछडे वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) (पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी) का तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त परिषदादेश के अन्य प्राविधान यथावत् रहेगें।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या :– 7–(1)–विनियम/पाकालि/12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम/केस्को।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

9/5/12

(जावेद अहमद)
उप सचिव (विनियम)

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपकम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ। अनुलग्नक – 3

दिनांक : 14 मई, 2012

संख्या : 8–विनियम / पाकालि / 12–3–विनियम / 92

अधिसूचना

दिनांक 9 मई, 2012

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7–विनियम / पाकालि / 12–3–विनियम / 92 दिनांक 9 मई, 2012 द्वारा उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं–4 / 1 / 2002 टी०सी०–1–का–2 / 2012 दिनांक 08–05–2012 को अंगीकृत करने के पश्चात उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल "आर्टिकिल्स ऑफ एसोसियेशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली,2008 को संशोधित कर निम्नलिखित विनियमावली बनाते है :–

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली, 2012

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :–

   (अ) यह विनियनावली " उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली,2012" कही जायेगी।

   (ब) यह 17 जून,1995 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली,2008 द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 में विनियम–8 के पश्चात् बढाया गया नया नियम– 8 'क' निकाल दिया जायेगा।

3. उक्त के फलस्वरूप कारपोरेशन की पूर्व में जारी अधिसूचना सं0 62–विनियम / पाकालि / 08–3–विनियम / 92 दिनांक 26.3.08 को उसके प्रभावी होने की तिथि 17.61995 से ही निरस्त माना जायेगा एवं कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–7 विनियम / पाकालि / 12–3–विनियम / 92 दिनांक 9 मई, 2012 का बिन्दु–2 तदनुसार संशोधित किया जाता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संख्या :– 8–(1)–विनियम / पाकालि / 12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम / केस्को।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय / अराजपत्रित) / महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(जावेद अहमद) 14.5.12

उप सचिव (विनियम)

उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

अनुलग्नक–4

संख्या : 10–विनियम/पाकालि/12–3–विनियम/92 दिनांक : 15 मई, 2012

अधिसूचना

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की अधिसूचना सं0–08–विनियम/पाकालि/12–3–विनियम/92 दिनांक 14–05–2012 द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ज्येष्ठता विनियमावली, 2012 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0–07–विनियम/पाकालि/12–3–विनियम/92 दिनांक 09–05–2012 के अनुक्रम में पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता समाप्त किये जाने से सम्बन्धित उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–4/1/2002 टी0सी0–1–का–2/2012 दिनांक 13–05–2012 की अनुरूपता में एतदद्वारा, निम्नवत् आदेशित किया जाता है—

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ज्येष्ठता नियमावली, 1998 में विनियम–08 के पश्चात् जोडे गये नये नियम–08'क' के निरस्त हो जाने के कारण उक्त नियमावली के आधार पर पूर्व में बनायी गयी ज्येष्ठता सूचियॉ स्वतः निष्प्रभावी हो गयी है। इस स्थिति के दृष्टिगत पदोन्नति करने के उद्देश्य से ज्येष्ठता सूचियॉ बनाये जाने के बारे में अब निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी –

(अ) यदि प्रबन्धन संतुष्ट है कि पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देते हुए निर्गत ज्येष्ठता सूची से पूर्व की निर्गत ज्येष्ठता सूची, जिसमे परिणामी ज्येष्ठता लाभ नहीं दिया गया था को विधिवत रूप से परिचालित कर आपत्तियॉ आमन्त्रित कर और उनके निस्तारण के उपरान्त तैयार किया गया था, और किसी न्यायालय के आदेश से बाधित नही है, तो उस ज्येष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है।

(ब) अन्यथा की स्थिति में कारपोरेशन द्वारा परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुए ज्येष्ठता निर्धारण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ज्येष्ठता नियमावली, 1998 सपठित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ज्येष्ठता नियमावली, 2012 के प्राविधानानुसार ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित कर अन्तिम रूप दे दिया जाय व तदोपरान्त इन ज्येष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या :– 10–(1)–विनियम/पाकालि/12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम/केस्को।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(जावेद अहमद) 15/5/12
उप सचिव (विनियम)